


लखविन्द्र सिंह बनाम गुरबाज सिंह वगैरा

किस्म मुकदमा:- प्रार्थना पत्र 212 आरटीए

नं.-03 सन् 2024

वकील प्रार्थी :- श्री महावीर बैरड

वकील अप्रार्थी:-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इमिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम का तामील में जारी हुए
13.02.2024	<p>अधिवक्ता प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए का पेश किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे। बहस एक पक्षीय सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी ने एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत निवेदन किया की प्रथम दृष्ट्या मामला व सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में है अगर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं कि गई तो प्रार्थी को अपूर्णयक्षति होगी। अतः एक पक्षीय बहस उपरान्त प्रार्थी के शपथ पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात के आधार पर अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की जारी की जाती है कि जवाब पेश होने तक चक 8 एनकेआर के खाता संख्या 57/47 खाता गुरबाज सिंह वगैरा जमाबन्दी सम्वत 2072-75 की वादग्रस्त भूमि में मौका- रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। इस सम्बन्ध में कोई उज्र/एतराज हो तो वकालतन/असलतन आगामी तारीख पेशी तक पेश करे। वकील प्रार्थी रजिस्टर्ड ए.डी. लिफाफा मय नोटिस तलवाना 3 तीन दिवस में रसीदे पेश करें। इसके अभाव में अस्थाई निषेधाज्ञा स्वतः निरस्त मानी जावेगी। अप्रार्थीगण के नाम से नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 06.03.2024 को पेश हो।</p>	 <p>सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official</p>
05.3.24	<p>प्रार्थना पत्र मूल वाद के साथ पेश करने के कारण प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र मूल वाद के संलग्न दस्तावेज दफ्तर में</p>	<p>लखविन्द्र सिंह</p>